

प्रशासनिक कार्यालय, जिला न्यायालय, हरिद्वार।

पत्रांक: 115/XV-2026

दिनांक: 05 अगस्त, 2026

—:सार्वजनिक सूचना:—

विषय : न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0एस0सी0, रुडकी, जिला हरिद्वार में प्रस्तुतकर्ता एवं मुन्सरिम के रिक्त पदों के सापेक्ष सेवानिवृत्त तृतीय श्रेणी कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन किये जाने विषयक।

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0एस0सी0, रुडकी, जिला हरिद्वार में प्रस्तुतकर्ता का 01 पद एवं मुन्सरिम का 01 पद रिक्त है। उक्त पदों पर सेवानिवृत्त कार्मिकों की पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन किया जाना है।

2. पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन के लिए आयु 60 से अधिक व 65 वर्ष से कम होगी। यह पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन नितान्त अस्थायी होगी तथा एफ0टी0एस0सी0 न्यायालय के प्रचलन अथवा दिनांक 28.02.2027 तक जो भी पहले हो, तक ही की जायेगी।
3. पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन अवधि में वेतन का भुगतान अंतिम आहरित वेतन माइनस पेंशन के सिद्धान्त पर होगा।
4. कार्मिक के सम्बन्धित पद पर सेवा के लिये उपयोगिता, उसका अच्छा स्वास्थ्य तथा उसकी सत्यनिष्ठा को भी ध्यान में रखा जायेगा।
5. कार्मिक को हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो। हिन्दी और अंग्रेजी टंकण एवं कम्प्यूटर प्रचालन का पर्याप्त ज्ञान हो। साथ ही सी0आई0एस0 संचालन का भी पूर्ण ज्ञान हो।
6. पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन सरकारी सेवक को एक कलैण्डर वर्ष में 14 दिनों का आकस्मिक अवकाश देय होगा।
7. पुनर्नियुक्ति/पुनर्नियोजन अवधि निर्धारित समय से पहले बिना नोटिस के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।
8. अतः माननीय जिला न्यायाधीश, हरिद्वार के निर्देशानुसार यह सूचित किया जाता है कि यदि उत्तराखण्ड न्यायपालिका से सेवानिवृत्त कोई तृतीय श्रेणी कार्मिक उक्त प्रस्तुतकर्ता के रिक्त 01 पद एवं मुन्सरिम के रिक्त 01 पद पर कार्य करने का इच्छुक हो, तो वह अपना प्रार्थना पत्र, बायोडाटा तथा चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र सहित दिनांक 22.08.2026 की सांय 04:00 बजे तक प्रशासनिक कार्यालय, जिला न्यायालय, हरिद्वार में प्रस्तुत कर सकता है। तदनुसार सूचना प्रसारित की जा रही है।

(नीलम रात्रा)

सदस्य समिति/प्रथम अपर जिला जज,
हरिद्वार।

प्रतिलिपि :-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश, अल्मोडा/बागेश्वर/चमोली/चम्पावत/देहरादून/उधमसिंह नगर/नैनीताल/पौड़ी गढ़वाल/पिथौरागढ़/रूद्रप्रयाग/टिहरी गढ़वाल/उत्तरकाशी को सादर सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उक्त सूचना को अपने अधीनस्थ जिला मुख्यालय एवं बाह्य न्यायालयों के नोटिस बोर्ड में चस्पा करवाये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. नोटिस बोर्ड, जिला न्यायालय, हरिद्वार।
3. नोटिस बोर्ड, बाह्य न्यायालय, रुडकी एवं लक्सर।
4. सिस्टम आफिसर को जिला न्यायालय, हरिद्वार की वेबसाईट पर प्रचार प्रसार हेतु अपलोड किये जाने हेतु।